निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 8 / 2020
दायरा दिनांकः–16.12.2020
निर्णय दिनांकः– 30.9.24

उनवान

1. लालचन्द पुत्र खेमा आयु 50 वर्ष जाति बैरवा निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सरकार जर्ये पटवारी सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 30.9.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री दौलतराम मीणा – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल छबड़ा में खाता संख्या 490 में स्थित खसरा नम्बर 1321 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, कृषि आराजी स्थित है. जिसका प्रार्थी खातेदार काबिज काश्त है. इसी प्रकार वाके माल आंचोली खाता संख्या 191 में स्थित खसरा नम्बर 347 रकबा 6 बीघा 18 विस्वा. कृषि आराजी स्थित है। जिसका भी प्रार्थी काबिज काश्त खातेदार है। दोनो ही माल की जमीन में प्रार्थी की जाति अलग–अलग दर्ज है। जिसके कारण प्रार्थी सरकारी योजना किसान सम्मान निधि एवं अन्य योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता है। इसलिए दोनो ही खातो की जमीन में प्रार्थी की जाति न्यायिक दृष्टि से समान होना आवश्यक है। प्रार्थी की जाति बैरवा है, और प्रार्थी के पास जाति प्रमाण पत्र है तथा राजस्व रिकॉर्ड आंचोली ग्राम का है, उसमें भी प्रार्थी की जाति वैरवा अंकित है। परन्तु कबाडी का काम करने के कारण प्रार्थी की जाति बदली नहीं जा सकती और कबाडी नाम की कोई जाति होती नहीं है. इसलिए समस्त दस्तावेजी सबूतो के अनुसार प्रार्थी की जाति शुद्ध करवाई जान। नितात आवश्यक है। प्रार्थी राजस्व कर्मचारियों के पास मिस्टेक कर पता चलते ही गया परन्तु राजस्व कर्मचारियों के द्वारा कहा गया कि राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धीकरण के अधिकार मात्र उपजिला कलेक्टर के पास होते है, और यहां से शुद्धीकरण का आदेश आयेगा तब ही शुद्धीकरण किया जा सकता है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न आंचोली माल की जमाबंदी और छबड़ा माल की जमाबंदी तथा जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजी सबूतो का अवलोकन कर प्राथी की खातेदारी की कृषि आराजी वाके माल छबड़ा खाता संख्या 490 खसरा नम्बर 1321में अंकित जाति

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कबाडी शब्द के स्थान पर बेरवा जाति अंकित करवाने के आदेश फरमाने की कृपा करे, और हल्का पटवारी को पाबंद किया जाये कि प्रार्थी की जाति शुद करके बैरवा जाति अंकित की जावे आदेश की पालना समय अवधि में करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 210 नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 532 फोटो प्रति जाति प्रमाण पत्र दिनांक 10.06.1987 फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र फोटो प्रति आधार कार्ड एवं प्रार्थी द्वारा स्वंय का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम छबडा तहसील छबडा में स्थित है। जिसका प्रार्थी खातेदार काबिज काश्त है इसी प्रकार ग्राम आंचोली में भी प्रार्थी की भूमि स्थित है दोनो गांव की जमीन में प्रार्थी की जाति अलग–अलग दर्ज है जिसके कारण प्रार्थी सरकारी योजनाओं का लाभ नही उठा पा रहा है। दोनो ही गांव व खातों की जमीन में प्रार्थी की जाति न्यायिक दृष्टि से समान होना आवश्यक है। प्रार्थी की जाति बैरवा है प्रार्थी का जाति प्रमाण पत्र बैरवा जाति का बना हुआ है ग्राम आंचोली की भूमि में प्रार्थी की जाति बैरवा सही दर्ज है परन्तु कस्बा छबडा की भूमि में जाति कबाडी दर्ज है कबाडी कोई जाति नही होती है परन्तु कबाडी का काम करने के कारण जाति कबाडी दर्ज कर दी गई। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में जाति बैरवा है प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर जाति दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की जाति कबाडी के स्थान पर बैरवा दर्ज करने के आदेश फरमावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत 2076–79 खाता संख्या 210 में लालचन्द पुत्र खेमा कोम बैरवा सा0देह छबडा दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 532 में लालचन्द पुत्र खेमा जाति कबाडी सा0देह है जाति प्रमाण पत्र क्रमांक/न्याय/87/349 दिनांक 10.06.1987 से उपखण्ड मजिस्ट्रेट छबडा द्वारा लालचन्द आत्मज श्री खेमचन्द निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बांरा की जाति बैरवा है जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है जारी किया गया है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम छबडा की जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 जमाबन्दी सम्वत् 2079 वर्ष (2023) से स्थायी खाता संख्या 530 खसरा नम्बर 1321 में मनीष कुमार राकेश कुमार पुत्र लालचन्द शोभा वर्मा पुत्री लालचन्द अयोध्या बाई पत्नि स्व0 लालचन्द जाति कबाडी माफीयात रिज्यूमशन के नाम दर्ज रिकार्ड है वादी की मृत्यु हो चुकी है वादी के वारिसान खाते में पूर्व से मौजूद है वादी की जाति वक्त सेटलमेन्ट से जाति कबाडी दर्ज राजस्व रिकार्ड है तभी से ही लगातार कबाडी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना बताया है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी लालचन्द फोत होना

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बताया है वर्तमान में लालचन्द के वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना बताया है अर्थात् वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष नियामनुसार अनुज्ञेय नही है तथा उक्त खसरे पर माफियात रिज्यूमशन दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र अनतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

कबाडी नाम की कोई जाति होती नहीं है,इसलिए समस्त दस्तावेजी सबूतो के अनुसार प्रार्थी की जाति शुद्ध करवाई जाना नितांत आवश्यक है।